

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद सुल्तानपुर पुलिस दिनांक-20.12.2020

थाना कुडवार पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर 01 अदद तमंचा व कारतूस बरामद किया गया ।

पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु प्रचलित अभियान ऑपरेशन अंकुश के तहत अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर क व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद सुल्तानपुर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 शस्त्राजीत प्रसाद मय हमराही का0 वीरेंद्र सिंह यादव व का0 इमरान अहमद द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बचनपुर तिराहा मजरे कसबा कुडवार के पास से गैंगस्टर में नामजद वांछित व 25000 हजार का इनामिया राजू उर्फ राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी केवट अली थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर को समय 09:30 बजे एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0स0 636/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त- राजू उर्फ राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी केवट अली थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी-01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस

अपराधिक इसिहास अभियुक्त-

- 1- मु0अ0स0- मु0अ0स0 636/20 धारा 3/25 आर्म्स
- 2- 616/20 धारा 2/3(1) गैंगस्ट एक्ट
- 3- 21/20 धारा 110 द0प्र0सं0
- 4- 51/20 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम